

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 1981/फाल्गुन 15, 1902
No. 83] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 1981/PHALGUNA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्तृत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1981

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 172 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम,
1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक में 84.68 (1) की मद (ब) की
उपमद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को
ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना

सं. 269-सीमा शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (5) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(6) स्टील अथाटी इण्डिया लिमिटेड के अनुसंधान और विकास केंद्र के अधीन स्पंज लोह आरम्भिक संयंत्र ।

(7) मुथुरा-दिल्ली-अम्बाला-जालन्धर उत्पाद पाइपलाइन परियोजना” ।

[सं. 63/फा. सं. 360/35/80-सीमा शुल्क-1]

के. चन्द्रमौलि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 6th March, 1981

G.S.R. 172(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (6) of item (d) of Heading No. 84.66 (i) of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Department of Revenue and Banking No. 269-Customs dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, after Serial No. (5) and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely :—

“(6) Sponge from Pilot Plant under Research and Development Centre of Steel Authority of India Limited.

(7) Mathura—Delhi—Ambala—Jallundhar Product Pipeline Project.”

[No. 63/F. No. 360/35/80—Us. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.